अनुक्रमांक /Roll No. | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 100
Total No. of Questions: 100

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 36
No. of Printed Pages: 36

Suitability Test-2020

प्रथम प्रश्न–पत्र
First Question Paper

Time Allowed- 3:00 Hours (Including 2nd Que. Paper)
समय – 3:00 घण्टे (द्वितीय प्रश्न पत्र के साथ ही)

Maximum Marks-100
पूर्णांक – 100

निर्देश : –
Instructions:-

1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न के अंक समान हैं। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

   All questions are compulsory. All questions shall carry equal Marks. There shall be no negative marking.

2. प्रश्न पत्र के आवरण पृष्ठ पर प्रश्न–पत्र में लगे पृष्ठों की संख्या दी गई है। परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि उसके प्रश्न–पत्र में निर्धारित संख्या में पृष्ठ लगे हैं, अन्यथा वह दूसरा प्रश्न–पत्र मांग लें ।

   The cover page indicates the number of pages in the question paper. The examinee should verify that the requisite number of pages are attached in the question paper, otherwise he/she should ask for another question paper.

3. प्रश्न पत्र में प्रश्नों की निर्धारित संख्या 100 हैं । परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि उसके प्रश्न–पत्र में निर्धारित संख्या में प्रश्न मुद्रित है, अन्यथा वह दूसरा प्रश्न पत्र मांग लें ।

   The question paper contain 100 questions. The examinee should verify that the requisite number of questions are printed in the question paper, otherwise he/she should ask for another question paper.

4. प्रदत्त उत्तर शीट पर दिये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अपने उत्तर तदानुसार अंकित करें।

   Read carefully the instructions given on the answer sheet supplied and indicate your answers accordingly.

5. कृपया उत्तरशीट पर निर्धारित स्थानों पर निर्धारित प्रविष्टियां कीजिये, अन्य स्थानों पर नहीं ।

   Kindly make the necessary entries on the answer sheet only at the places indicated and nowhere else.

6. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मानक माना जायेगा।

   If there is any sort of mistake either of printing or of factual nature in any question, then out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.

P.T.O.

Civil Procedure Code, 1908

प्र.क्र. 1– एक अनिवार्य विक्रय (अर्थात न्यायालय विक्रय) तब तक आत्यांतिक नहीं होता जब तक कि विक्रय के बाद कुछ समय व्यतीत ना हो जाए। कितने दिन की अवधि व्यतीत होनी चाहिए ?

(अ) 90 दिन
(ब) 60 दिन
(स) 40 दिन
(द) 30 दिन

Que. A compulsory sale (i.e. a court sale) does not become absolute until some time after the sale elapse. A period of how many days must elapse:

(a) 90 days.
(b) 60 days.
(c) 40 days.
(d) 30 days.

प्र.क्र. 2– निम्न में से कौन सा निर्णय के पुर्नविलोकन का आधार नहीं हैं ?

(अ) नए और महत्वपूर्ण विषय/साक्ष्य की खोज।
(ब) गलती जो अभिलेख के देखने से प्रकट होती हो।
(स) विधि में पश्चातवर्ती विधायन या वरिष्ठ न्यायालय के निर्णय द्वारा परिवर्तन।
(द) न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय के विद्यमान निर्णय को विचार में लेने में विफल रहना।

Que. Which of the following is not a ground for review of a judgment:

(a) Discovery of new and important matter/evidence.
(b) Error apparent on the face of the record.
(c) Change in law by subsequent legislation/decision of a superior court.
(d) Failure of the court to take into consideration an existing decision of the Supreme Court.

प्र.क्र. 3– दूसरे पक्षकार के अपेक्षा किए जाने पर किसी पक्षकार को किसी तथ्य को स्वीकार करने हेतु समय दिया जाता है:–

(अ) सूचना की तामील की तारीख से 6 दिन
(ब) सूचना की तामील की तारीख से 8 दिन
(स) सूचना की तामील की तारीख से 9 दिन
(द) सूचना की तामील की तारीख से 10 दिन

Que. The time to be given to a party to admit any fact, when called upon by the other party is:

(a) 6 days from the date of the service of the notice.
(b) 8 days from the date of the service of the notice.

(c) 9 days from the date of the service of the notice.
(d) 10 days from the date of the service of the notice.

प्र.क्र. 4–. A के विरूद्ध पारित भरणपोषण की डिक्री से भिन्न डिक्री के निष्पादन में उसके वेतन को कितना भाग कुर्की योग्य होगा, यदि उसकी आय 7000/– प्रति माह है ?
(अ) 3000/–
(ब) 2000/–
(स) 5000/–
(द) 6000/–

Que. In execution of a decree, other than a decree for maintenance, passed against A, what shall be the attachable portion, if his salary is Rs. 7000 per month?
(a) Rs. 3000.
(b) Rs. 2000.
(c) Rs. 5000.
(d) Rs. 6000.

प्र.क्र. 5– कौन–सा आदेश, परीक्षण के सामान्य नियम कि एक पक्षकार को, उसका परीक्षण साक्षी के रूप में उसके अन्य साक्षियों की साक्ष्य अभिलिखित होने के पूर्व कराना चाहिए, का अपवाद विहित करता है।
(अ) आदेश 18 नियम 3
(ब) आदेश 18 नियम 3 क
(स) आदेश 18 नियम 4
(द) आदेश 18 नियम 5

Que. Which Order lays down the exception of normal rule that a party must examine herself/himself as a witness, before examination of his other witnesses?
(a) Order 18 Rule 3
(b) Order 18 Rule 3A
(c) Order 18 Rule 4
(d) Order 18 Rule 5

प्र.क्र. 6– आदेश 41 नियम 5 के अंतर्गत निष्पादन कार्यवाही रोकी जाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है?
(अ) निष्पादन को रोके जाने का आवेदन देने वाले पक्षकार को सारवान हानि हो सकती है।
(ब) आवेदन अयुक्तियुक्त विलंब के बिना किया गया हो।
(स) आवेदक ने ऐसी डिकी या आदेश के सम्यक रूप से पालन के लिए प्रतिभूति दे दी हो।
(द) उपरोक्त सभी

Que. Which is essential condition, for staying of execution, under O41 Rule 5,
(a) substantial loss may be caused to a party applying for stay
(b) the application has been made without unreasonable delay
(c) security for the due performance of the decree or order has been given by the applicant
(d) all of the above

प्र.क्र. 7– अभिकथन में समाहित है
(अ) वाद–पत्र
(ब) लिखित कथन
(स) दोनो अ और ब
(द) केवल अ

Que. Pleading includes
(a) plaint
(b) written statement
(c) both a and b
(d) only a

प्र.क्र. 8– आदेश 2 नियम 2 के प्रावधान लागू होते है
(अ) केवल निष्पादन कार्यवाही पर
(ब) केवल वाद पर
(स) केवल रिट पर
(द) दोनों अ और ब

Que. Provision of Order 2 Rule 2 applies
(a) only on execution proceeding
(b) only on suit
(c) only on writ
(d) both on suit & writ

प्र.क्र.9 किस धारा के अंतर्गत वाद लाने के स्थान पर आपत्ति करते हुए, समान पक्षकारों के बीच पूर्ववर्ती वाद में पारित डिक्री की वैधता को चुनौती देने वाला वाद पोषणीय नही है।
(अ) अतंर्गत धारा 21
(ब) अतंर्गत धारा 21A
(स) अतंर्गत धारा 22
(द) अतंर्गत धारा 23

Que. Under which section a suit is not maintainable for challenging the validity of a prior decree between the same party on a ground based on objection to the place of suing,
(a) under section 21
(b) under section 21 A

(c) under section 22
(d) under section 23

प्र.क्र. 10– मुजरा के दावे के संबंध में, निम्न में से कौन सा कथन **सही नहीं** है–
(अ) यह करार द्वारा सृजित नहीं किया जा सकता
(ब) अवधि बाधित दावा अभिकथित नहीं किया जा सकता
(स) वाद धन वसूली के लिए होना चाहिए
(द) पक्षकार एक ही हैसियत में होना चाहिए

Que. In relation to a claim of set-off, which of the following statement is **not correct**-
A. it cannot be created by agreement
B. a time barred claim cannot be pleaded
C. the suit must be one for the recovery of money
D. parties must fill in the same character

प्र.क्र. 11– वेतन के प्रभाग की कुर्की अधिकतम ——— तक लगातार की जा सकती है–
(अ) 6 माह
(ब) 12 माह
(स) 24 माह
(द) 36 माह

Que. Attachment of portion of salary can be continued for a maximum period of-
A. 6 months
B. 12 months
C. 24 months
D. 36 months

प्र.क्र. 12– सिविल न्यायालय निम्न में से किन मामलों में अस्थायी व्यादेश अनुदत्त करने के लिए सशक्त नहीं है–
(अ) स्थानीय निकाय के किसी निर्वाचन को अवरूद्ध करने के लिए
(ब) शासन द्वारा की जाने वाली किसी नीलामी को रोकने के लिए
(स) शासकीय कर्मचारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्थगित करने के लिए
(द) उपरोक्त सभी मामलों में

Que. A Civil Court is not empowered to grant temporary injunction in which of the following matters-
A. to restrain any election of a local body
B. to stop any auction made by the Government
C. to stay any disciplinary proceedings against a Government employee
D. in all above matters

प्र.क्र. 13– निम्नलिखित में से कौन सा सि0 प्र0 सं0 के आदेश 6 नियम 2 के तहत अभिवचन निर्धारित करने का मूलभूत नियम नहीं हैं –

(अ) हर अभिवचन में तथ्यों का उल्लेख होना चाहिये न की विधि का ।

(ब) इसमें केवल तात्विक तथ्यों का उल्लेख होगा ।

(स) इसमें केवल वही तात्विक तथ्यों का उल्लेख होगा जिन पर पक्षकार अपने प्रतिरक्षा के लिये निर्भर है न कि उस साक्ष्य का जिसके द्वारा वे साबित किये जाने है ।

(द) इसमें साक्ष्य और विधि का उल्लेख होना चाहिये ।

Que. Which of the following are not the fundamental rules of pleading as set forth under O. 6, R. 2 of Civil Procedure Code?

(a) Every pleading must state facts and not law.

(b) It must state material facts and material facts only.

(c) It must state only the facts on which the party pleading relies for his claims or defence and not the evidence by which they are to be proved.

(d) It must state evidence and law also.

प्र.क्र. 14– सि0 प्र0 सं0 की धारा 10 के अन्तर्गत कोई न्यायालय ऐसे किसी वाद के विचारण की कार्यवाही नहीं करेगा जब कि पूर्व में ही संस्थित किया गया वाद है –

एक– उसी न्यायालय मे जिसमें पश्चातवर्ती वाद संस्थित किया गया है।

दो– भारत के किसी अन्य न्यायालय में जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता हो।

तीन– भारत की सीमा से परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किया या चालू रखा गया है।

चार– सुप्रीम कोर्ट के समक्ष।

(अ) एक, दो

(ब) तीन, चार

(स) दो, चार

(द) इनमें से किसी

Que. Under s. 10 of the Code of Civil Procedure, the court shall not proceed with the trial of the suit if the previously instituted suit is pending: -

I. In the same court in which the subsequent suit is brought.

II. In any other court in India having jurisdiction to grant relief claimed.

III. In any court beyond the limits of India established or continued by the Central Government and having like jurisdiction

IV. In the Supreme Court

(a) I, II
(b) III, IV
(c) II, IV
(d) any of these

प्र.क्र. 15– सि0 प्र0 सं0 के आदेश 1 नियम 8 के अन्तर्गत जहां एक ही वाद में बहुत से व्यक्तियों का समान हित है ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकेगे या उनके विरूद्ध वाद लाया जा सकेगा या वे वाद की प्रतिरक्षा कर सकेगे –
(अ) राज्य सरकार की अनुमति से
(ब) कलेक्टर के अनुमति से
(स) न्यायालय की अनुमति से
(द) बिना किसी प्रकार की अनुमति से

Que. Under Order-1 Rule 8 of Civil Procedure Code, where there are numerous persons having the same interest in one suit, one or more of such persons may sue or defend such suit on behalf of or for the benefit of, all persons so interested -
(a) with the permission of the State Government
(b) with the permission of Collector
(c) with the permission of the Court
(d) without any type of permission

प्र.क्र. 16– सि0 प्र0 सं0 के आदेश 12 के अन्तर्गत वाद करने के लिये किसी भी पक्षकार द्वारा किसी अन्य पक्षकार को किस प्रकार की सूचना दी जा सकती है
(अ) वाद के पूरे या किसी भाग की सत्यता को स्वीकार करने की सूचना ।
(ब) दस्तावेजों को स्वीकार करने की सूचना ।
(स) किसी विशेष तथ्य या तथ्यों को स्वीकार करने की सूचना ।
(द) उपरोक्त सभी ।

Que. Which kind of Notice to admission may be given by any party to other party to suit under Order-12 of Civil Procedure Code?
(a) Notice to admit the truth of whole or any part of the case.
(b) Notice to admit documents
(c) Notice to admit any specific fact or facts
(d) All of these

प्र.क्र. 17– निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है –
(अ) वे सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते है ।
(ब) वे सभी प्रश्न जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित है ।
(स) उपरोक्त दोनों ए और बी ।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

Que. Which of following questions can be determined by the Court executing decree:-

(a) All questions arising between parties to the suit in which decree was passed or their representatives.
(b) Questions relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree.
(c) Above (a) and (b) both.
(d) None of the above

प्र.क्र. 18– सि0 प्र0 सं0 की धारा 97 के अनुसार जहां प्रारम्भिक डिक्री से व्यथित कोई पक्षकार ऐसी डिक्री की अपील नहीं करता तो ऐसा पक्षकार –
(अ) अंतिम डिक्री के विरूद्ध की गई अपील मे प्रारम्भिक डिक्री की शुद्धता विवादित कर सकता है ।
(ब) किसी भी अपील में जो कि अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ऐसी प्रारम्भिक डिक्री की शुद्धता को विवादित करने से रोक दिया जाता है ।
(स) किसी भी समय प्रारम्भिक डिक्री की शुद्धता को चुनौती दे सकता है ।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

Que. Under Section-97 of Civil Procedure Code, where any party aggrieved by a preliminary decree does not appeal from such decree, such a party -
(a) Can dispute correctness of such preliminary decree even in appeal preferred from final decree.
(b) Is precluded from disputing the correctness of such preliminary decree in any appeal which may be preferred from the final decree.
(c) Can challenge the correctness of the preliminary decree at any time.
(d) None of the above.

प्र.क्र. 19– सिविल न्यायालय द्वारा पारित निम्न में से किस आदेश से अपील नहीं होगी–
(अ) धारा 35–ख के अधीन आदेश
(ब) आदेश 39 नियम 2–क के अधीन आदेश
(स) आदेश 11 नियम 21 के अधीन आदेश
(द) आदेश 37 नियम 4 के अधीन आदेश

Que. An appeal shall not lie from which of the following order passed by a Civil Court-
A. an order under Section 35-B
B. an order under Order 39 Rule 2A
C. an order under Order 11 Rule 21
D. an order under Order 37 Rule 4

प्र.क्र. 20– जहां डिक्री किसी फर्म के विरुद्ध पारित की गई है, वहां निष्पादन ------ के विरुद्ध अनुदत्त किया जा सकता है–
(अ) भागीदारी की किसी सम्पत्ति के विरुद्ध
(ब) वह व्यक्ति जो भागीदार न्यायनिर्णीत किया जा चुका है
(स) वह व्यक्ति जिस पर भागीदार के रूप में व्यक्तिगत तामील की गई है
(द) उपरोक्त सभी

Que. Where a decree has been passed against a firm, execution may be granted against-
A. any property of the partnership
B. a person who has been adjudged to be a partner
C. a person who has been individually served as a partner
D. all above

Limitation Act, 1963
(Section 3, 5 to 14, 27 & 29 Articles 64, 65 & 137)

प्र.क्र. 21– परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत मुजरे की दशा में दावा संस्थित किया गया माना जायेगा –
(अ) जिस तारीख को जबावदावा प्रस्तुत किया गया
(ब) उस तारीख को जब वह वाद संस्थित किया गया जिसमें मुजरे का अभिवचन किया गया है
(स) उस तारीख को जिस दिन मुजरे का अभिवचन किया गया हो
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. Under Section-3 of the Limitation Act, any claim by way of a set off shall be deemed to have been instituted-
(a) on the date on which written statement has been filed
(b) on the same date as the suit in which the set off is pleaded
(c) on the same date on which set off is pleaded
(d) none of the above

प्र.क्र. 22– निम्न में से कौन सा, आवेदन सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के अंतर्गत विहित काल के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा–
(अ) उपशमन को अपास्त कराने के लिए
(ब) व्यतिक्रम के कारण खारिज वाद के प्रत्यावर्तन हेतु
(स) निर्धन व्यक्ति के तौर पर वाद लाने की अनुमति के लिए
(द) संक्षिप्त प्रकिया के अधीन वाद में प्रतिरक्षा करने की अनुमति के लिए

Que. Which of the following application under the Code of Civil Procedure, 1908, cannot be admitted after the prescribed period-
A. to set aside an abatement
B. to restore a suit dismissed for default
C. for leave to sue as indigent person

D. for leave to defend a suit under summary procedure

प्र.क्र. 23– प्रोबेट के प्रदान किए जाने का प्रतिसंहरण के लिए परिसीमा काल है–
(अ) एक वर्ष
(ब) दो वर्ष
(स) तीन वर्ष
(द) बारह वर्ष

Que. The period of limitation for revocation of grant of probate is-
A. one year
B. two years
C. three years
D. twelve years

प्र.क्र. 24– धारा–14 लागू होती है :
(अ) वाद व आवेदन
(ब) केवल वाद
(स) वाद व अपील
(द) दीवानी तथा दाण्डिक कार्यवाहियाँ

Que. Sec. 14 applies to:
(a) Suits and applications.
(b) Suits only.
(c) Suits and appeals.
(d) Civil as well as criminal proceedings.

प्र.क्र. 25– धारा 13 लागू होती है–
(अ) अंकिचन द्वारा फाइल वाद में
(ब) अंकिचन द्वारा फाइल अपील में
(स) अ और ब दोनों सही है।
(द) अ और ब दोनों गलत है।

Que. sec.13 applies to
(a) suit filed by a pauper
(b) appeal filed by pauper
(c) both a & b are true
(d) both a & b are wrong

Specific Relief Act, 1963

(Chapter I - Section 5, 6, 7 & 8, Chapter VI - Section 34 & 35, Chapter VIII - Section 38 & 41)

प्र.क्र. 26– धारा 34 का परन्तुक संबंधित है :
(अ) विनिर्दिष्ट अनुपालन के वादों से

(ब) घोषणा के वादों से
(स) व्यादेश के वादों से
(द) उपरोक्त सभी

Que. Proviso to section 34 relates to:
(a) Suits for specific performance.
(b) Suits for declaration.
(c) Suits for injunctions.
(d) All the above.

प्र.क्र. 27– अधिनियम के अध्याय 6 के अंतर्गत की गई घोषणा बंधनकारी है, केवल
(अ) वाद के पक्षकारों पर
(ब) न्यासियों पर
(स) पक्षकारों से व्युत्पन्न अधिकार का दावा करने वाले व्यक्तियों पर
(द) उपरोक्त सभी

Que. Declaration made under Chapter VI of the Act is binding only
(a) on parties of the suit
(b) on trustee
(c) on person claiming rights through parties
(d) all of the above

प्र.क्र. 28– विधिक हैसियत की घोषणा के वाद में प्रदत्त एक घोषणात्मक डिक्री आबद्धकर है–
(अ) न्यासी पक्षकार पर
(ब) वादीगण और प्रतिवादीगण दोनों पर
(स) वादी और प्रतिवादी के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति पर
(द) उपरोक्त सभी पर

Que. A declaratory decree given in a suit for declaration of a legal character is binding on the-
A. trustee parties
B. plaintiffs and defendants both
C. person claiming through any of the plaintiff or defendant
D. all above

प्र.क्र. 29– विनिर्दिष्ट जंगम सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 7 के अनुसार वाद का समर्थन करने के लिये निम्नलिखित में से क्या पर्याप्त है?
(अ) जंगम सम्पत्ति के वर्तमान कब्जें के लिये केवल विशेष अधिकार ।
(ब) जंगम सम्पत्ति के वर्तमान कब्जें के लिये केवल अस्थायी अधिकार ।
(स) जंगम सम्पत्ति के वर्तमान कब्जे के लिये या तो विशेष या अस्थायी अधिकार ।
(द) जंगम सम्पत्ति पर केवल हक ।

Que. For recovery of specific movable property, which of the following is sufficient to support a suit under Section 7 of Specific Relief Act, 1963?

(a) Only special right to the present possession of movable property.
(b) Only temporary right to the present possession of movable property.
(c) Either special or temporary right to present possession of movable property.
(d) Only title to the movable property

प्र.क्र.30– एक व्यक्ति जिसका जंगम सम्पत्ति की किसी भी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा या नियंत्रण है जिसका वह स्वामी नहीं है, वह उसके अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्ति को विनिर्दिष्टतः परिदान करने के लिये विवश किया जा सकेगा –
(अ) जब दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी के पास से विधितः अंतरित कर दिया हो ।
(ब) जब दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी के पास से सदोषतः अंतरित कर दिया हो।
(स) जब उसकी हानि से कारित वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चय करना अत्यन्त कठिन ना हो।
(द) जब प्रतिवादी के पास वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में दावा की गई वस्तु नहीं है।

Que. A person having possession of a particular article of movable property of which he is not the owner, may be compelled specifically to deliver it to the person entitle to its immediate possession when-
(a) When the possession of the thing claimed has been legally transferred from the plaintiff
(b) When the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff
(c) When it would not be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss
(d) When the defendant holds the thing claimed not as a trustee or agent of the plaintiff

Motor Vehicle Act, 1988
(Section 140, 163-A & 166)

प्र.क्र. 31– मोटर यान अधिनियम में, कुछ मामलों में, 'कोई त्रुटि न होने के दायित्व' के सिद्धांत का प्रावधान किया गया है अर्न्तगत–
(अ) धारा 166
(ब) धारा 140
(स) धारा 163
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. Principle of 'no fault liability' in certain cases has been provided in Motor Vehicles Act under-
(a) Section 166
(b) Section 140

(c) Section 163
(d) None of the above

प्र.क्र. 32– जहां मृतक स्थायी नियोजन में था और उसकी आयु 40 वर्ष से कम थी, आय का निर्धारण करते समय वास्तविक वेतन का ..... भविष्य की समृद्धि के लिए अतिरिक्त जोड़ना चाहिए–
(अ) 15%
(ब) 25%
(स) 30%
(द) 50%

Que. Where the deceased had a permanent job and was below the age of 40 years, while determining the income, an addition of ..... of actual salary should be made towards future prospects
A. 15%
B. 25%
C. 30%
D. 50%

प्र.क्र.33– धारा 163 क के अंतर्गत प्रतिकर राशि दी जाती है
(अ) मृत्तक के विधिक वारिस को
(ब) मृत्तक के विधिक प्रतिनिधि को
(स) मृत्तक के परिवारजन को
(द) मृत्तक की पत्नी को

Que. Under section 163 A of the Act, compensation is paid to
(a) legal heir of deceased
(b) legal representative of the deceased
(c) family members of deceased
(d) wife of the deceased

प्र.क्र. 34– संयुक्त उपेक्षा के मामलों में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के संबंध में कौनसा कथन सही है–
(अ) दावेदार एक वाहन के स्वामी, चालक व बीमा कर्ता के विरूद्ध दावा लाने का हकदार है।
(ब) दावेदार दोनों वाहनों के स्वामियों, चालकों व बीमा कर्ताओं के विरूद्ध दावा लाने का हकदार है।
(स) केवल अ सही है।
(द) अ व ब दोनों सही है।

Que. Which statement is true as to seeking of compensation in case of composite negligence?
(a) Claimant is entitled to sue owner, driver and insurer of one vehicle.

(b) Claimant is entitled to sue owner, driver and insurer of both vehicles.
(c) Only 'a' is true.
(d) 'a' and 'b' both are true.

प्र.क्र.35– किन परिस्थियों मे धारा–140 मो.व्ही.ए. के तहत आवेदन किया जा सकता है ?
(अ) व्यक्ति की मृत्यु या स्थाई र्नियोग्यता।
(ब) व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति।
(स) व्यक्ति की मृत्यु या स्थाई र्नियोग्यता या संपत्ति की क्षति।
(द) व्यक्ति की मृत्यु।

Que. Under what circumstances an application U/S 140 M.V. Act be given?
(a) death of person or permanent disablement.
(b) death of person or physical injury.
(c) death of person or permanent disablement or damage of property.
(d) death of person.

Code of Criminal Procedure, 1973

प्र.क्र. 36– इनमें से किस मामले में त्वरित विचारण के अधिकार को मान्यता दी गई है:
(अ) हुसेनारा खातून वि. बिहार राज्य।
(ब) तारलोक सिंह वि. पंजाब राज्य।
(स) सुरजित सिंह वि. बलबीर सिंह।
(द) बिहार राज्य वि. जे.ए.सी. सलधनहा।

Que. In which of the following cases, the right to speedy trial has been recognized:
(a) Hussainara Khatoon v State of Bihar.
(b) Tarlok Singh v State of Punjab.
(c) Surjit Singh v Balbir Singh.
(d) State of Bihar v J.A.C. Saldanha.

प्र.क्र. 37– कुर्क की गई किसी सम्पत्ति के बारे में उदघोषित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दावे व आपत्तियाँ करने हेतु परिसीमा काल है :
(अ) कुर्की की तारीख से 30 दिन के भीतर
(ब) कुर्की की तारीख से 2 माह के भीतर
(स) कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर
(द) कुर्की की तारीख से 3 माह के भीतर

Que. The period of limitation for filing claims and objections by persons, other than the proclaimed person, in the property attached is:
(a) Within 30 days from the date of the attachment.
(b) Within 2 months from the date of the attachment.

(c) Within 6 months from the date of the attachment.
(d) Within 3 months from the date of the attachment.

प्र.क्र. 38– क पर ऐसे कार्य का अभियोग है जो चोरी की या चुराई गई सम्पत्ति प्राप्त करने की या आपराधिक न्यासभंग की या छल की कोटि में आ सकता है। उस पर केवल चोरी का आरोप है। यह प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया है, तो उसे
(अ) दोषमुक्त किया जा सकेगा।
(ब) चोरी हेतु दोषसिद्ध किया जा सकेगा।
(स) आपराधिक न्यासभंग हेतु दोषसिद्ध किया जा सकेगा।
(द) उन्मोचित किया जा सकेगा।

Que. A is accused of an act which may amount to theft, or receiving stolen property or criminal breach of trust or cheating. He is only charged with theft but it appears that he committed the offence of criminal breach of trust. He may be:
(a) Acquitted.
(b) Convicted to theft.
(c) Convicted of criminal breach of trust.
(d) Discharged.

प्र.क्र. 39– धारा–199 द.प्र.स. के तहत एक सत्र न्यायालय अपराध का सज्ञान ले सकता है, जहॉ कि अपराध है
(अ) संज्ञेय ओर अजमानतीय
(ब) उच्च गणमान्य व्यक्तियों की मानहानी
(स) अशमनीय
(द) मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय

Que. A Court of Session may take cognizance of offence under Sec. 199 of the Code of Criminal Procedure, 1973 when the offence is:
(a) Cognizable and non-bailable.
(b) Defamation of high dignitaries.
(c) Non-compoundable.
(d) Punishable with death or life imprisonment.

प्र.क्र. 40– दण्डादेश के निष्पादन का वॉरन्ट निदिष्ट किया जायेगा
(अ) पुलिस अधीक्षक जेल को
(ब) भार साधक अधिकारी जेल को
(स) जेलर को
(द) उप पुलिस अधीक्षक जेल को

Que. Warrant for the execution of a sentence of imprisonment shall be directed to
(a) Superintendent of Jail
(b) Officer-in-charge of the jail

(c) Jailer
(d) Deputy Superintendent of jail

प्र.क्र. 41– बलात्संग पीड़ित का विचारण बंद कमरे में किया जाता है अंतर्गत धारा
(अ) धारा 326
(ब) धारा 327
(स) धारा 328
(द) धारा 329

Que. Trial of a rape victim is conducted *in camera* under ?
(a) Section 326
(b) Section 327
(c) Section 328
(d) Section 329

प्र.क्र. 42– गिरफ्तारी वॉरन्ट निष्पादित किया जा सकता है
(अ) सेशन जज के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
(ब) जिला मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
(स) जिले की सीमा के अंदर
(द) भारत में किसी भी स्थान में

Que. A warrant of arrest may be executed
(a) Within the local jurisdiction of Sessions Judge
(b) Within the local jurisdiction of a District Magistrate
(c) Within the boundary of district
(d) Any place in India

प्र.क्र. 43– भारत से बाहर कारित अपराध के विचारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **सही नहीं** है–
(अ) ऐसा अपराध भारत के किसी नागरिक द्वारा खुले समुद्र पर किया गया है
(ब) ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, जो भारत का नागरिक नहीं है
(स) ऐसे किसी अपराध के लिये भारत में विचारण केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. Which of the following statement in respect of trial of an offence committed outside India is **not correct**-
A. such an offence may be committed by a citizen of India on the high sea
B. such an offence may be committed by a person not being the citizen of India
C. no such offence shall be tried in India except with the sanction of the Central Government

D. none of the above.

प्र.क्र. 44– संहिता की धारा 320 के अंतर्गत किसी पागल की ओर से अपराध का शमन करने के लिए सक्षम व्यक्ति है
(अ) पागल का पिता
(ब) पागल की माता
(स) उसकी ओर से संविदा करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति
(द) केवल न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक द्वारा

Que. The competent person to compound an offence under the section 320 of the Code on behalf of lunatic is ?
(a) only father of lunatic
(b) only mother of lunatic
(c) any person competent to contract on behalf of lunatic
(d) Only guardian to be appointed by court.

प्र.क्र. 45– धारा 321 के अंतर्गत अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन फाईल किया जा सकता है
(अ) संज्ञान लेने से पूर्व
(ब) निर्णय पारित होने से पूर्व किसी भी समय
(स) आरोप विरचित होने से पूर्व
(द) साक्ष्य अभिलिखित होने से पूर्व

Que. An application for withdrawal of prosecution under section 321 of the Code can be made
(a) before taking cognizance
(b) at any time before pronouncing judgment
(c) before framing charge
(d) before recording evidence

प्र.क्र. 46– दण्ड न्यायालय द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस आदेश से अपील नहीं होगी–
(अ) धारा 340 द.प्र.सं. के अधीन आदेश
(ब) धारा 350 द.प्र.सं. के अधीन आदेश
(स) धारा 451 द.प्र.सं. के अधीन आदेश
(द) धारा 452 द.प्र.सं. के अधीन आदेश

Que. An appeal shall not lie from which of the following order passed by a Criminal Court-
A. an order under Section 340 Cr.P.C.
B. an order under Section 350 Cr.P.C.
C. an order under Section 451 Cr.P.C.
D. an order under Section 452 Cr.P.C.

प्र.क्र. 47– निम्नलिखित में से न्यायालय द्वारा पारित किस आदेश से पीड़ित को अपील का अधिकार होगा–

(अ) अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने का आदेश
(ब) अपर्याप्त अवधि का कारावास अधिरोपित करने का आदेश
(स) अपर्याप्त अर्थदण्ड अधिरोपित करने का आदेश
(द) उपरोक्त सभी

Que. A victim shall have a right to prefer an appeal against which of the following orders passed by the Court-
A. an order imposing inadequate compensation
B. an order imposing imprisonment for inadequate period
C. an order imposing inadequate fine
D. all above.

प्र.क्र. 48– निम्नलिखित में से किसे धारा 125 द.प्र.सं. लागू है–
(अ) हिन्दु
(ब) ईसाई
(स) मुस्लिम
(द) उपरोक्त सभी

Que. Section 125 Cr. P. C. is applicable to which of the followings-
A. Hindus
B. Christians
C. Muslims
D. all the above

प्र.क्र. 49– उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है उपस्थिति होने पर संपत्ति अथवा विक्रय आगम पर कुर्की से ..... की अवधि में दावा कर सकता है–
(अ) छह माह
(ब) एक वर्ष
(स) दो वर्ष
(द) तीन वर्ष

Que. A proclaimed person whose property has been attached can claim the property or the sale proceeds, on appearance within the period of..... of attachment-
A. six months
B. one year
C. two years
D. three years

प्र.क्र. 50– जहां एक ही व्यक्ति के विरूद्ध एक से अधिक शीर्ष पर आरोप विरचित किया गया है और द0प्र0स0 की धारा 224 के अधीन एक या अधिक के लिये दोषसिद्धि की जाती है तब शेष आरोप या आरोपों को वापस निम्न में से कौन ले सकता है ?
(अ) केवल परिवादी न्यायालय की सहमति के बिना ।
(ब) न्यायालय की सहमति से परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी ।

(स) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी ।
(द) जिलाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत लोक अभियोजक ।

Que. Where a charge containing more heads than one is framed against the same person and conviction has been had on one or more of them, under section-224 of the Criminal Procedure Code, who can withdraw the remaining charge or charges ?
(a) Only the complainant without the consent of the Court
(b) The complainant or the officer conducting prosecution, with the consent of the court
(c) Any officer authorized by the State Government
(d) Public Prosecutor authorized by the Collector

प्र.क्र. 51– निम्नलिखित में से क्या द0प्र0स0 की धारा 232 में दोष मुक्ति का आदेश पारित करने के लिये आवश्यक नहीं है –
(अ) अभियोजन साक्ष्य लेना
(ब) अभियोजन को सुनना
(स) अभियुक्त को सुनना
(द) प्रतिरक्षा साक्षियों की परीक्षा

Que. Which of the following is not a requirement for passing order of acquittal under section-232 of Cr.P.C.-
(a) taking of prosecution evidence
(b) hearing the prosecution
(c) hearing the accused
(d) examination of defence witnesses

प्र.क्र. 52– द0प्र0स0 की धारा 327 के अनुसार, भा0द0सं0 की धारा 376ए 376 एए 376 ई के अधीन बलात्संग अपराध की कार्यवाही के लिये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है :–
(अ) विचारण बंद कमरे में किया जायेगा
(ब) न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना कोई कार्यवाही प्रकाशित नहीं की जायेगी
(स) जहां तक हो सके विचारण महिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा
(द) न्यायालय उचित कारण पर पक्षकारों के नाम एवं पते को प्रकाशित करने की अनुमति दे सकता है ।

Que. As per Section 327 Cr.P.C., for trial of offence of rape under S.376, 376-A, 376 -E of I.P.C., which of the following statement is Not correct-
(a) Trial shall be conducted *in camera*
(b) Proceedings shall not be published without previous permission of the court.
(c) As for as practicable trial shall be conducted by woman Judge

(d) The Court may, for proper reason, permit to publish name and address of the parties

प्र.क्र. 53– द0प्र0स0 की धारा 357 के अनुसार प्रतिकर देने का आदेश दिया जा सकता है –

(अ) विचारण न्यायालय द्वारा ।

(ब) अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो ।

(स) उपरोक्त (अ) व (ब)दोनो।

(द) केवल विचारण न्यायालय ।

Que. An order to pay compensation under S.357 of Cr.P.C. may be made-

(a) by Trial Court

(b) By Appellate Court or by High Court or Court of Sessions exercising its power of revision.

(c) Above (a) & (b) both.

(d) Only by Appellate Court.

प्र.क्र. 54– द0प्र0स0 की धारा 363 के अनुसार, जब न्यायालय किसी प्रकरण के निपटारे के निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर देता है तब–

(अ) उसमें परिवर्तन या पुर्नविलोकन कर सकता है ।

(ब) लिपिकीय या गणितीय त्रृटि को ठीक करने के अलावा उसमें कोई परिवर्तन या पुर्नविलोकन नहीं कर सकता है ।

(स) निर्णय के कारणों में परिवर्तन या पुर्नविलोकन कर सकता है लेकिन निष्कर्षो में नहीं ।

(द) निष्कर्षो में परिवर्तन कर सकता है लेकिन निष्कर्ष के कारणें में नहीं ।

Que. As per S.363 of Cr.P.C., when a Court has signed its Judgment or final order disposing of a case-

(a) May alter or review the same.

(b) Cannot alter or review the same except to correct a clerical or arithmetical error.

(c) May alter or review the reasons for decision but not findings.

(d) may alter findings but not the reasons for findings

प्र.क्र. 55– दोषमुक्ति के ऐसे आदेश, जो संज्ञेय और अजमानतीय अपराध वावत् किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का आदेश, द0प्र0स0 की धारा 378 के अनुसार, कौन दे सकता है ?

(अ) राज्य सरकार

(ब) जिला मजिस्ट्रेट

(स) राज्य सरकार की अनुमति से जिला मजिस्ट्रेट

(द) लोक अभियोजक

Que. As per Section 378 of Cr.P.C. Who may direct to file an appeal against an order of acquittal passed by a Magistrate in respect of a cognizable and non bailable offence ?

(a) State Government
(b) District Magistrate
(c) District Magistrate with the permission of the State Government.
(d) Public Prosecutor

Indian Evidence Act, 1872

प्र.क्र. 56– साक्ष्य अधिनियम धारा 8 के अनुसार किसी वाद या कार्यवाही के लिये पक्षकारों के आचरण की सुसंगता के सम्बन्ध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ?
(अ) सुसंगत है यदि ऐसा आचरण विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है ।
(ब) सुसंगत है यदि ऐसा आचरण विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के पूर्व का है ।
(स) सुसंगत है यदि ऐसा आचरण विवाद्यक तथ्य के पश्चात का है ।
(द) सुसंगत नहीं है यदि ऐसा आचरण विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के पूर्व या पश्चात का था ।

Que. Under S.8 of the Evidence Act , as to relevancy of the conduct of parties to the suit or proceeding ,which of the following statement is not correct-
(a) is relevant, if such conduct influences fact in issue or relevant fact
(b) is relevant, if such conduct was previous to the fact in issue or relevant fact
(c) is relevant, if such conduct was subsequent to the fact in issue.
(d) is not relevant if such conduct was previous or subsequent to the fact in issue or relevant fact.

प्र.क्र. 57– साक्ष्य अधिनियम की धारा 16 के अधीन यह प्रश्न है कि कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व सुसंगत है जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता है जबकि प्रश्न है कि–
(अ) किये गये कार्य के विशेष समय के संबंध में ।
(ब) किये गये कार्य के स्थान के संबंध में
(स) किये गये कार्य का ढंग के संबंध में
(द) क्या विशिष्ट कार्य किया गया था।

Que. Under Section-16 of Evidence Act, the existence of any course of business, according to which it naturally would have been done is relevant where there is a question-
(a) As to particular time of act so done.
(b) As to place of the act done.
(c) As to the manner of act done.
(d) Whether particular act was done.

प्र.क्र. 58– साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत , यदि कोई संस्वीकृति उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कारित हुआ है, असंगत है लेकिन इस नियम का एक अपवाद है जिसका उल्लेख किया गया है साक्ष्य अधिनियम की धारा.–
(अ) धारा 30 में ।

(ब) धारा 28 एंव 29 में ।
(स) धारा 23 में ।
(द) धारा 21 में।

Que. Under Section 24 of the Evidence Act, a confession caused by inducement, threat or promise is irrelevant in criminal proceeding but there is exception to this rule which is mentioned in Evidence Act under -
(a) Section- 30
(b) Section- 28 and 29
(c) Section -23
(d) Section-21

प्र.क्र. 59– साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 के अधीन विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार है –
(अ) वादी का सिविल प्रकरणों में ।
(ब) अभियोजक का आपराधिक प्रकरणें में।
(स) वह व्यक्ति जिसे विशिष्ट प्रकरण में शुरू करने का अधिकार है।
(द) वह व्यक्ति जो न्यायालय से यह चाहता है कि वह उसके अस्तित्व में विश्वास करें ।

Que. Under S. 103 of Evidence Act, the Burden of proof as to any particular fact lies on-
(a) plaintiff in Civil cases.
(b) Prosecutor in Criminal cases.
(c) Person who has right to begin in particular case.
(d) Person who wishes the court to believe in its existence.

प्र.क्र. 60– जब किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तथ्यों के संबंध में अर्थहीन हो तो यह दर्शित करने के लिये साक्ष्य दिया जा सकेगा :–
(अ) कि वह सामान्य भाव में उपयोग किया गया था।
(ब) कि वह सामान्य अर्थ में उपयोग किया गया था।
(स) कि वह विशिष्ट भाव में प्रयुक्त किया गया था।
(द) कि इसका प्रयोग एक अर्थहीन दस्तावेज देने के लिये किया गया था।

Que. When language used in a document is plain in itself but is unmeaning in reference to the existing facts, the evidence may be given to show-
(a) That it was used in common sense.
(b) That it was used in general sense.
(c) That it was used in peculiar sense.
(d) That it was used for rendering it a meaningless document.

प्र.क्र. 61– प्रश्न यह है कि क्या क अपनी पत्नी ख के प्रति क्रूरता का दोषी रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा के अंतर्गत, अभिकथित क्रूरता के थोड़ी देर पूर्व या पश्चात् उनकी एक दूसरे के प्रति भावना की अभिव्यक्तियां सुसंगत तथ्य हैं–
(अ) धारा 8

(ब) धारा 9
(स) धारा 14
(द) धारा 15

Que. The question is, whether A has been guilty of cruelty towards B, his wife. Under which Section of the Indian Evidence Act, 1872, the expressions of their feeling towards each other shortly before or after the alleged cruelty, are relevant facts-
A. Section 8
B. Section 9
C. Section 14
D. Section 15

प्र.क्र. 62– ख द्वारा दिए गए धन की रसीद ख को क देता है। संदाय करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है। यह साक्ष्य–
(अ) ग्राह्य है
(ब) अग्राह्य है
(स) असंगत है
(द) अविश्वसनीय है

Que. A gives B receipt for money paid by B. Oral evidence is offered of the payment. The evidence is-
A. admissible
B. inadmissible
C. irrelevant
D. unbelievable

प्र.क्र. 63– किसी प्रकरण विशेष में उचित अभिरक्षा से पेश किये गये इलेक्ट्रानिक अभिलेख पर लगाये गये इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारण करने के लिए ऐसे इलेक्ट्रानिक अभिलेख का ..... वर्ष पुराना साबित किया जाना आवश्यक होगा–
(अ) एक वर्ष
(ब) तीन वर्ष
(स) पांच वर्ष
(द) तीस वर्ष

Que. To presume about the electronic signature affixed on an electronic record produced from the proper custody in any particular case, such electronic record is required to be proved to be ..... years old-
A. one year
B. three years
C. five years
D. thirty years

प्र.क्र. 64– साक्ष्य अधि. की धारा–92 प्रयोज्य है

(अ) केवल लिखित के पक्षकारों के मध्य विवादों में ।
(ब) लिखित के पक्षकार व अपरिचित व्यक्ति के मध्य विवादों में।
(स) दो अपरिचितों के मध्य विवाद में जहॉ दस्तावेज प्रश्नगत है।
(द) उपरोक्त सभी।

Que. Section 92 of Evidence Act is applicable to:
(a) Disputes between the parties to the instrument only.
(b) Disputes between a party to the instrument and a stranger.
(c) Disputes between two strangers where the document is in question.
(d) All the above.

प्र.क्र. 65– धारा 110 में उपबंधित स्वामित्व के बारे में सबूत के भार का नियम ..... पर आधारित है
(अ) आधिपत्य
(ब) स्वत्व
(स) अंतरण
(द) संविदा

Que. The rule of burden of proof as to ownership provided in section 110 is based on.....
A. possession
B. title
C. transfer
D. contract

प्र.क्र. 66– घटना स्वयं बोलती है, का नियम है–
(अ) विधि का
(ब) प्रक्रिया का
(स) साक्ष्य का
(द) उपरोक्त सभी

Que. Res Ipsa Locquiter is rule of
(a) law
(b) procedure
(c) evidence
(d) all above

प्र.क्र. 67– प्रोबेट न्यायालय का निर्णय है
(अ) व्यक्तिबंधी
(ब) सर्वबंधी
(स) दोनों सर्वबंधी तथा व्यक्तिबंधी निर्णय
(द) सभी गलत है।

Que. The judgment of probate court is
(a) Judgment in personam

(b) Judgment in rem
(c) both Judgment in rem and personam
(d) All are wrong

प्र.क्र. 68– किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की न्यूनतम अपेक्षित संख्या है
(अ) एक
(ब) कोई विशिष्ट संख्या नहीं
(स) दो
(द) तीन

Que. The minimum required number of witnesses to prove any fact, are
(a) one
(b) no particular number
(c) two
(d) three

प्र.क्र. 69– एक पक्षकार साक्षी के रूप में उपस्थित नही होता है, उसके विरूद्ध प्रतिकूल उपधारणा की जा सकती है।
(अ) अंतर्गत धारा 114 (क)
(ब) अंतर्गत धारा 114 (ग)
(स) अंतर्गत धारा 114 (ड.)
(द) अंतर्गत धारा 114 (छ)

Que. if a party abstains from entering the witness-box, adverse inference against him may be drawn,
(a) under section 114(a)
(b) under section 114(c)
(c) under section 114(e)
(d) under section 114(g)

प्र.क्र. 70– एक मृत्यृकालिक कथन ग्राह्य है
(अ) केवल दीवानी कार्यवाहियों में।
(ब) केवल दाण्डिक कार्यवाहियों में।
(स) केवल विवाह संबंधी मामलों में।
(द) दीवानी के साथ–साथ दाण्डिक कार्यवाहियों में।

Que. A dying-declaration is admissible in:
(a) Civil proceedings only.
(b) Criminal proceedings only.
(c) Marital proceedings only.
(d) Civil as well as criminal proceedings.

Indian Penal Code, 1860

प्र.क्र. 71– साधारण उपहति के अपराध में, मानसिक पीड़ा :
(अ) शामिल है।
(ब) शामिल नहीं है।
(स) कभी–कभी शामिल है।
(द) इनमे से कोई नही।

Que. under the offence of simple hurt, a mental pain is:
(a) Also covered.
(b) Not covered.
(c) Sometimes covered.
(d) None of the above.

प्र.क्र. 72– कन्सेन्सस एड आइडेम का अर्थ हैं :
(अ) समान आशय।
(ब) चित्त मिलन।
(स) समान आशय से अपराध कारित करना।
(द) इनमें से कोई नहीं।

Que. Consensus ad idem means:
(a) Common intention.
(b) Meeting of minds.
(c) Commit an offence with common intention.
(d) None of the above.

प्र.क्र. 73– निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है:
धारा 90 भा.द.स. के तहत सहमति, तब स्वतन्त्र सहमति कहलाती है जब
(अ) 12 वर्ष से अधिक आयु के बालक द्वारा दी गई हो।
(ब) किसी व्यक्ति द्वारा क्षति के भय के अधीन दी गई हो।
(स) विकृतचित व्यक्ति द्वारा दी गई हो।
(द) तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई हो।

Que. Which one of the following statements is correct:
Under Section 90 of the Indian Penal Code, 1860, consent is said to be a free consent when
(a) Given by a child above 12 years of age.
(b) Given by a person under fear of injury.
(c) Given by a person of unsound mind.
(d) Given under misconception of fact.

प्र.क्र. 74– दुष्प्रेरण पूर्ण हो जाता है ज्यों ही
(अ) दुष्प्रेरक अन्य व्यक्ति को अपराध करने हेतु उकसाता है।

(ब) व्यक्ति जिसे उकसाया गया है अपराध पारित करने की दिशा में कोई प्रत्यक्ष कार्य करता है
(स) दुष्प्रेरित अपराध कारित कर दिया जाता है
(द) अपरोक्त ब और स दोनों

Que. Abetment is complete as soon as:
(a) The abettor has incited another to commit an offence.
(b) The person instigated has done some overt act towards the commission of the offence.
(c) The offence abetted has been committed.
(d) Both (b) & (c) above.

प्र.क्र. 75– जब कई व्यक्तियों द्वारा कोई आपराधिक कार्य अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तबः
(अ) ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वाधीन है मानों वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।
(ब) ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति अपने प्रत्यक्ष कार्य हेतु दायित्वाधीन है।
(स) ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति अपराध में अपनी भागीदारी की सीमा तक दायित्वाधीन है।
(द) अ व ब दोनों।

Que. When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all:
(a) Each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone.
(b) Each of such person is liable for his own overt act.
(c) Each of such person shall be liable according to the extent of his participation in the crime.
(d) Both (a) & (b).

प्र.क्र. 76– एक शासकीय कर्मचारी कार्यालय से अस्थाई रूप से फाइल हटाता है और प्राइवेट व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाने के बाद वापिस करता है, उसका आशय इसे स्थाई रूप से रखने का नही है–
(अ) उसका कार्य दण्डनीय नही है।
(ब) वह चोरी का दोषी है।
(स) वह चोरी के प्रयत्न करने का दोषी है।
(द) वह आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी है।

Que. A government employee temporarily removed file from office and making it available to a private person and then returned it back, he has no intention to keep it permanently.
(a) His act is not punishable
(b) He is guilty of theft
(c) He is guilty of attempt to theft

(d) He is guilty of criminal misappropriation

प्र.क्र. 77– किसी प्राइवेट अथवा लोक चिकित्सालय का भार साधक अधिकारी अम्ल और बलात्संग पीडित को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने तथा उसका निशुल्क उपचार करने से मना करता है वह दोष सिद्ध किया जा सकता है

(अ) एक वर्ष के कारावास की अवधि अथवा जुर्माना अथवा दोनों से

(ब) एक वर्ष के कारावास की अवधि अथवा जुर्माना ₹10,000 अथवा दोनों से

(स) छः मास के कारावास की अवधि अथवा जुर्माना अथवा दोनों से

(द) दो वर्ष के कारावास की अवधि अथवा जुर्माना अथवा दोनों से

Que. An in-charge of a private or public hospital denied to provide first aid or medical treatment free of cost to the victim's of acid attack and rape, he shall be punished

(a) with imprisonment for a term of one year or with fine or with both

(b) with imprisonment for a term of one year or with a fine of ₹10,000/- or with both

(c) with imprisonment for a term of six months or with fine or with both

(d) with imprisonment for a term of two year or with fine or with both

प्र.क्र. 78– अ को ब के गृह के द्वार की चाबी मिल जाती है, जो ब से खो गई थी। अ उस चाबी से द्वार खोल कर ब के गृह में प्रवेश करता है, उसका कृत्य गठित करेगा–

(अ) गृह अतिचार

(ब) गृह भेदन

(स) अपराधिक अतिचार

(द) प्रच्छन्न गृह–अतिचार

Que. A finds the key of B's house door, which B had lost. A enters B's house, having opened the door with that key, his act constitutes

(a) house trespass

(b) house breaking

(c) criminal trespass

(d) lurking house trespass

प्र.क्र. 79– एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय नही रखता यद्यपि वह ज्ञान रखता है कि यदि कार्य किया जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्य कारित हो सकती है, वह दोषसिद्ध किया जा सकता है–

(अ) दस वर्ष तक के कारावास की अवधि अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से

(ब) जुर्माने सहित आजीवन कारावास की अवधि

(स) जुर्माने सहित चौदह वर्ष तक के कारावास की अवधि

(द) जुर्माने सहित सात वर्ष तक के कारावास की अवधि

Que. A person has no intention to cause death of a person, however, he knows that if the act is done, it may cause death of that person, he may be punished
(a) for an imprisonment upto ten years or with fine or with both
(b) life imprisonment with fine
(c) for imprisonment upto fourteen years with fine
(d) for imprisonment upto seven years with fine

प्र.क्र. 80– न्यायालय जुर्मना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में निम्न भांति का कारावास अधिरोपित कर सकेगी–
(अ) केवल सादा
(ब) सश्रम
(स) किसी भांति का
(द) जुर्माने की मात्रा पर निर्भर

Que. The imprisonment, which the Court imposes in default of payment of fine, may be of the following description-
A. only simple
B. rigorous
C. of either description
D. depends on the quantum of fine

प्र.क्र. 81– एक विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य नहीं हो सकता है–
(अ) किसी विधिक आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना
(ब) किसी रिष्टि का करना
(स) किसी व्यक्ति के साथ छल करना
(द) आपराधिक बल का प्रदर्शन

Que. The common object of an "unlawful assembly" cannot be-
A. to resist the execution of any legal process
B. to commit any mischief
C. to cheat any person
D. show of criminal force

प्र.क्र. 82– **क**, एक चालक उपेक्षापूर्वक लोक मार्ग पर कार चलाता है और ऐसा करके **ख** को गंभीर उपहति कारित करता है तथा **ख** की साइकिल को क्षतिग्रस्त करता है। **क** का अभियोजन भारतीय दण्ड संहिता की निम्न धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए किया जायेगा–
(अ) 279, 338
(ब) 279, 325
(स) 279, 338, 426
(द) 279, 325, 426

Que. A, a driver, drives car on the public way in a negligent manner and thereby causing grievous hurt to B and damage to B's bicycle. A shall be prosecuted for the offences punishable under the following Sections of the Indian Penal Code-
A. 279, 338
B. 279, 325
C. 279, 338, 426
D. 279, 325, 426

प्र.क्र. 83– क, एक शल्य चिकित्सक, एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। इस आघात के परिणामस्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। क जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है। क ने :–
(अ) कोई अपराध कारित नहीं किया
(ब) उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा अपराध किया
(स) स्वेच्छया कार्य द्वारा अपराध किया
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. A, a surgeon, in good faith, communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock. A knew it to be likely that the communication might cause the patient's death. A has committed :-
(A). no offence
(B). an offence by negligent act
(C). an offence by voluntary act
(D). none of the above

प्र.क्र. 84– कोई कार्य स्वेच्छया कारित किया कहा जायेगा, यदि ऐसा कार्य कारित किया गया है–
(अ) आशय से
(ब) आशय और ज्ञान से
(स) ज्ञान से
(द) आशय या ज्ञान से

Que. An act is said to cause Voluntarily, if such act is caused-
A. with intention
B. with intention and knowledge
C. with knowledge
D. with intention or knowledge

प्र.क्र. 85– जब कभी कोई व्यक्ति उस समय उपस्थित हो जब वह अपराध किया जाये जिसके लिए वह उसकी अनुपस्थिति में दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दण्डनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने–
(अ) ऐसे अपराध का प्रत्यक्ष दुष्प्रेरण किया है

(ब) ऐसे अपराध का अप्रत्यक्ष दुष्प्रेरण किया है
(स) स्वयं अपराध किया है
(द) ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण मात्र किया है

Que. Whenever any person is present when the offence for which he would be punishable in his absence in consequence of the abetment, is committed, he shall be deemed to have-
A. directly abetted such offence
B. indirectly abetted such offence
C. himself committed such offence
D. only abetted such offence

प्र.क्र. 86– निम्नलिखित में से कौन सा घटक भा.द.सं. की धारा 34 का नहीं है ?
(अ) एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य ।
(ब) उनके द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया कृत्य।
(स) कम से कम दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य।
(द) ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिये उसी प्रकार उत्तरदायी होता है मानों वह कार्य अकेले उसी ने किया है ।

Que. Which is not an ingredient of Section-34 Indian Penal Code ?
(a) a criminal act done by more than one person
(b) a criminal act done in furtherance of the common intention of all of them
(c) a criminal act done by at least more than two persons
(d) each of such person is liable for that act as if it is done by him alone

प्र.क्र. 87– निम्नलिखित में से किस स्थिति में सम्पत्ति की प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार दोषकर्ता की स्वेच्छया कारित मृत्यु करने तक नहीं होता है ?
(अ) लूट ।
(ब) अग्नि द्वारा रिष्टि जो किसी ऐसे निर्माण में जो मानव आवास के रूप में उपयोग किया जाता है ।
(स) दिन में गृह–भेदन ।
(द) रात्रि में गृह–भेदन ।

Que. In which of following case, right of private defence of the property does not extends to the voluntary causing death to the wrongdoer-
(a) Robbery
(b) Mischief by fire in a building used as human dwelling
(c) House -breaking in day light
(d) House -breaking by night

प्र.क्र. 88– क भारत में ख को, जो पाकिस्तान में विदेशी है पाकिस्तान में हत्या के लिये उकसाता हैं–

(अ) क ने किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण नही किया है
(ब) क ने हत्या का अपराध नही किया क्योंकि भा.द.सं. पाकिस्तान मे लागू नहीं हैं
(स) क केवल षडयंत्र का दोषी है लेकिन हत्या के दुष्प्रेरण का नहीं
(द) क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है ।

Que. A in India instigates B a foreigner in Pakistan, to commit a murder there in Pakistan-
(a) A has not committed abatement of any offence
(b) A has not committed offence of murder as the Indian Penal code does not apply to the act committed in Pakistan
(c) A is guilty of mere conspiracy but not of abetting murder
(d) A is guilty of abetting murder.

प्र.क्र. 89– 'विधि पूर्ण संरक्षकता मे से व्यपहरण' का अपराध गठित करने के लिये, जबकि अप्राप्तवय महिला है, तो अप्राप्तवय की आयु होनी चाहिए –
(अ) 16 वर्ष से कम
(ब) 18 वर्ष से कम
(स) 20 वर्ष से कम
(द) 21 वर्ष से कम

Que. To constitute an offence of 'kidnapping from lawful guardianship' the age of minor ,if female, should be-
(a) under sixteen years
(b) under eighteen years
(c) under twelve years
(d) under twenty one years

प्र.क्र. 90– य जो एक मजिस्ट्रेट है. के समक्ष साक्षी के रूप में क उपसंजात होता है। य यह कहता कि वह क के अभिसाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नही करता है और यह कि क ने शपथ भंग किया है। क को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह य का वध कर देता है। यहां क का कृत्य है :–
(अ) आपराधिक मानववध लेकिन हत्या नहीं
(ब) भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में दंडनीय अपराध है ।
(स) हत्या है ।
(द) न तो आपराधिक मानवध और न हीं हत्या है।

Que. A appears as witness before Z, a Magistrate; Z says that he does not believe a word of A's deposition and that A has perjured himself. A is moved to sudden passion by these word and kills Z. Here A's act is-
(a) culpable homicide but not murder
(b) an offence punishable under S.304 IPC
(c) murder
(d) neither culpable homicide nor murder

Negotiable Instrument Act, 1881
(Section 138 to 142)

प्र.क्र. 91– धारा 138 के अधीन किसी भी दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिये आवश्यक है कि:–
(अ) चैक के पाने वाले या धारक द्वारा जैसा भी मामला हो, सम्यक अनुक्रम में लिखित परिवाद किया जाना चाहिए।
(ब) ऐसा परिवाद वादकारण उप्तन्न होने की तारीख के एक मास के भीतर किया जाता है।
(स) विहित कालावधि के बाद यदि परिवादी न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर परिवाद नही करने का पर्याप्त कारण था ।
(द) उपरोक्त सभी।

Que. For taking cognizance of any offence punishable under Section 138 it is necessary that -
(a) A complaint should be made in writing by the payee or the holder in due course of the cheque, as the case may be.
(b) Complaint is made within one month on the date on which a cause of action arises.
(c) after the prescribed period, the complainant satisfies the court that he had sufficient cause for not making a complaint within such period
(d) All of the above

प्र.क्र. 92– धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध की जांच और विचारण केवल किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जायेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर :–
(अ) यदि चेक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिये परिदत्त किया जाता है तो बैंक की शाखा जहां पर यथा स्थिती पानेवाला या सम्यक अनुक्रम में धारक, खाता बनाये रखता है, स्थित है।
(ब) यदि चैक पानेवाला या सम्यक अनुक्रम में धारक द्वारा संदाय के लिए, खाते के माध्यम से अन्यथा प्रस्तुत किया जाता है, ऊपरवाल बैंक की शाखा, जहां लेखीवाल खाता बनाये रखता है, स्थित है ।
(स) उपरोक्त दोनों ।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

Que. The offence under Section 138 shall be inquired into and tried only by a Court within whose local jurisdiction-
(a) The branch of the Bank where the payee or holder in due course maintains the account is situated, in case the cheque is delivered for collection through an account.
(b) If the cheque is presented by the payee otherwise through an account, the branch of the drawee bank where the drawer maintains the account is situated.
(c) Both of the above.

(d) None of the above.

प्र.क्र. 93– परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के विचारण में मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त पर समन निम्न में से किस रीति से निर्वाह कराया जा सकता है–
(अ) स्पीड पोस्ट से
(ब) कुरियर सेवा से
(स) व्यक्तिगत परिदान द्वारा
(द) उपरोक्त सभी

Que. In a trial for the offence under Section 138 of the N.I. Act, summons to an accused can be served by which of the following modes-
A. by speed post
B. by courier service
C. by personal delivery
D. all above

प्र.क्र. 94– धारा 142 के अतंर्गत प्रस्तुत परिवाद
(अ) लिखित में होना चाहिए
(ब) मौखिक में होना चाहिए
(स) मौखिक और लिखित दोनों में हो सकता है।
(द) पुलिस रिपोर्ट होना चाहिए।

Que. Complaint filed under section 142
(a) must be in writing
(b) must be in oral
(c) may be in writing or oral
(d) must be a police report

प्र.क्र. 95– परक्रामय लिखित अधिनियम के तारतमय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. अनाथालय को संदान में दिये गये चैक के अनादरित होने पर परिवाद दायर किया जा सकता है ।
2. एक बार संज्ञान हो जाने पर उसी न्यायालय मे आवेदन करने पर इसे प्रतिसंहरित किया जा सकता है।
(अ) 1 गलत है।
(ब) 2 गलत है।
(स) 1 व 2 दोनो गलत है।
(द) 1 व 2 दोनों सहीं है।

Que. Consider the following statement with regard to NI Act:
(i) A complaint may be filed for a dishonoured cheque given in donation to the orphanage.
(ii) Once cognizance is taken that may be revoked on an application being made to the same court.
(a) (i) is wrong.

(b) (ii) is wrong.
(c) (i) and (ii) both are wrong.
(d) (i) and (ii) both are right.

Electricity Act, 2003

प्र.क्र. 96– "विद्युत के अनाधिकृत प्रयोग" के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ?
(अ) किसी कृत्रिम साधन द्वारा।
(ब) संबंद्ध व्यक्ति या प्राधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत नहीं किये गये साधनों द्वारा।
(स) उस प्रयोजन के अलावा जिस प्रयोजन के लिए विद्युत का प्रयोग प्राधिकृत किया गया है।
(द) उन परिसरो या क्षेत्रों के लिए जिनके लिए विद्युत की आपूर्ति प्राधिकृत की गई।

Que. Which of the following statement is incorrect about "unauthorised use of electricity":
(a) By any artificial means.
(b) By a means not authorised by the concerned person or authority or licensee.
(c) For the purpose other than for which the usage of electricity was authorised.
(d) for the premises or areas for which the supply of electricity was authorised.

प्र.क्र. 97– चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए निर्धारित दण्ड है–
(अ) तीन माह का कारावास या जुर्माना या दोनों से
(ब) छः माह का कारावास या जुर्माना या दोनों से
(स) दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से
(द) तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से

Que. What is prescribed punishment for receiving stolen property ?
(a) Three months imprisonment or with fine or with both
(b) six months imprisonment or with fine or with both
(c) two years imprisonment or with fine or with both
(d) Three years imprisonment or with fine or with both

प्र.क्र. 98– विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान निम्न में से किस के द्वारा दायर परिवाद पर से नहीं किया जा सकता–
(अ) प्राधिकृत अधिकारी
(ब) मुख्य विद्युत निरीक्षक
(स) विद्युत उपभोक्ता
(द) सक्षम पुलिस अधिकारी

Que. Cognizance of any offence punishable under the Electricity Act, 2003 cannot be upon complaint filed by which of the followings-
A. Authorized officer
B. Chief Electricity Inspector
C. Electricity Consumer
D. Competent Police Officer

प्र.क्र. 99– निम्न में से किस मामले में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार बाधित होगा–
(अ) निर्धारण अधिकारी द्वारा विद्युत प्रभार का निर्धारण
(ब) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विद्युत प्रभार का निर्धारण
(स) न्यायनिर्णयन आधिकारी द्वारा शास्ति की मात्रा का निर्धारण
(द) अपीलीय अधिकरण द्वारा जारी आदेश

Que. In which of the following matters the jurisdiction of Civil Court shall be barred-
A. assessment of electricity charge by assessing officer
B. determination of electricity charge by appellate authority
C. determination of quantum of penalty by adjudicating officer
D. orders issued by the appellate Tribunal

प्र.क्र. 100 विद्युत अधिनियम 2003 की किस धारा के तहत सिविल न्यायालय की अधिकारिता में कुछ मामलों के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया है?
(अ) धारा 141
(ब) धारा 147
(स) धारा 145
(द) धारा 149

Que. Under which Section of the Electricity Act 2003, jurisdiction of the Civil Court has been barred in respect of certain matters mentioned therein-
(a) Section-141
(b) Section-147
(c) Section-145
(d) Section-149

*****